

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज कंवराराम बनाम लो.सू.अ. ( तहसीलदार जोधपुर ) सू.अ.अ. अपील संख्या 60/2018</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>16.05.18</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कंवराराम पुत्र हपाराम जाट निवासी पालड़ी पंवारा तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 07.02.2018 में उसके द्वारा (1) पालड़ी पंवारा के खसरा संख्या 12 कृषि भूमि पर बनी अवैध पत्थर कटिंग की फैक्ट्री को हटवाने बाबत एक शिकायत दिनांक 07.03.17 को तहसीलदार जोधपुर को दी गई, उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई उसकी सूचना की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार जोधपुर ) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष ( तहसीलदार जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष ( तहसीलदार जोधपुर ) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	